



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2774]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2016/अग्रहायण 3, 1938

No. 2774]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2016/AGRAHAYANA 3, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2016

का.आ. 3544(अ)—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 3408(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 8 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 और पैरा 2 में, "24 नवम्बर, 2016" अंकों और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "15 दिसंबर, 2016" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में,—

(i) खंड (ग) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "एक बार 5,000/- रुपए की सीमा तक, केंद्रीय सरकार" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (छ) और खंड (ज) का 25 नवम्बर, 2016 (24 नवम्बर, 2016 की मध्यरात्रि) से लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(त) जल, विद्युत प्रभारों की बाबत संदाय करने के लिए ;";

(iv) खंड (द) के परंतुक का 25 नवम्बर, 2016 से लोप किया जाएगा ;

(v) खंड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“(ध) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या स्थानीय निकाय के विद्यालयों में, प्रति विद्यार्थी 2,000/- की सीमा तक, विद्यालय फीस की बाबत संदाय करने के लिए ;

(न) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के महाविद्यालयों की फीस की बाबत संदाय करने के लिए ;

(प) पूर्वसंदत्त मोबाइल टॉप-अप की बाबत, प्रति टॉप-अप 500/- रुपए की सीमा तक, संदाय करने के लिए;

(फ) 3 दिसंबर, 2016 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन टोल प्लाजाओं, जिसके अंतर्गत सुविधाग्राही हैं, पर संदाय करने के लिए :

परंतु यह कि 25 नवम्बर, 2016 से इस पैरा के सभी खंडों के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों से केवल पाँच सौ रुपए अंकित मूल्य के बैंक नोट अभिप्रेत होंगे।”।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई. I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3408(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 3416(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2016, का.आ. 3429(अ) तारीख 10 नवम्बर, 2016, का.आ. 3445(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2016, का.आ. 3447(अ) तारीख 13 नवम्बर, 2016, का.आ. 3448(अ) तारीख 14 नवम्बर, 2016, का.आ. 3480(अ) तारीख 17 नवम्बर, 2016, का.आ. 3489(अ) तारीख 18 नवम्बर, 2016 और का.आ. 3490(अ) तारीख 20 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2016

S.O. 3544(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, in paragraphs 1 and 2, for the words, figures and letters “the 24th November, 2016”, occurring at both places, the words, figures and letters “the 15th December, 2016” shall be substituted.
2. In the said notification, in paragraph 1,—
 - (i) in clause (c), after the words “Central or State Governments”, the words “up to a limit of Rs. 5000/- at a time” shall be inserted;
 - (ii) clauses (g) and (h) shall be omitted with effect from 25th November, 2016 (midnight of 24th November, 2016);
 - (iii) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

“(p) for making payments towards water, electricity charges;”;
 - (iv) in clause (r), proviso shall be omitted with effect from 25th November, 2016;
 - (v) after clause (r), the following clauses shall be inserted, namely :—
 - “(s) for making payments towards school fees up to a limit of Rs. 2000/- per student in the Central Government, State Government, Municipality or Local Body schools;
 - (t) for making payments towards fees for the Central Government or the State Government colleges;
 - (u) for making payments towards pre-paid mobile top-up up to a limit of Rs. 500/- for every top-up;
 - (v) for making payments at the toll plazas under National Highways Authority of India including concessionaires, with effect from 3rd December 2016;

Provided that, with effect from 25th November, 2016, for the purposes of all clauses of this paragraph, specified bank notes shall mean bank notes of the denominational value of five hundred rupees only.”.

[F. No. 10/03/2016-Cy. I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 3416(E) dated the 9th November, 2016, S.O. 3429(E) dated the 10th November, 2016, S.O. 3445(E) dated the 11th November, 2016, S.O. 3447(E) dated the 13th November, 2016, S.O. 3448(E) dated the 14th November, 2016, S. O. 3480(E) dated the 17th November, 2016, S.O. 3489(E) dated the 18th November, 2016 and S.O. 3490(E) dated the 20th November, 2016.